रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

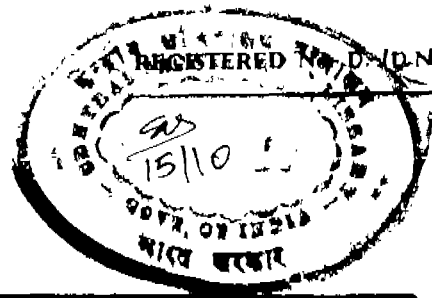

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1984/श्रावण 25, 1906
No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1984/SRAVANA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1984

सा.का.नि. 610(अ).—भारत सरकार, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 21 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599 के साथ भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप खंड (1) में दिनांक 13 अगस्त, 1983 को वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए कुछ प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तथा लोगों को इनकी प्रतियां उपलब्ध होने से तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे।

और यत: उपर्युक्त राजपत्र लोगों को 13 अगस्त, 1983 को उपलब्ध हो गया था।

और यत: लोगों से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत: अब, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 कहा जाए।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

वायुयान नियम, 1937 में —

1. नियम 3 के उपनियम (1) में;

   (1) खण्ड (3) का लोप किया जाएगा ;

   (2) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(4क) "विमानमार्ग बीकन" से ऐसा विमानमार्ग भूमि प्रकाश अभिप्रेत है जो भूमि की सतह पर किसी विशिष्ट बिन्दु को अभिहित करने के लिए सभी दिगंश पर दृश्यमान हो, चाहे वह लगातार हो, चाहे आंतरायिक हो ;

(4ख) "विमानमार्ग भूमि प्रकाश" से किसी वायुयान पर उपदर्शित प्रकाश से भिन्न कोई प्रकाश अभिप्रेत है जिसकी विमान चालन के सहायक के रूप में व्यवस्था की गई है ;

2. भाग 8 और उसके शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'भाग 8—विमानमार्ग बीकन विमानक्षेत्र भूमि प्रकाश और नकली प्रकाश"

3. नियम 65 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् ;—

"65 विमानमार्ग बीकन और विमानमार्ग भूमि प्रकाश;

(1) कोई भी विमान मार्ग बीकन और विमान मार्ग भूमि प्रकाश केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, भारत के भीतर स्थापित या बनाए रखा जाएगा और उससे प्रदर्शित किए जाने वाले प्रकाश का स्वरूप परिवर्तित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से स्थापित या बनाए रखे गए विमान मार्ग बीकन या विमान-मार्ग भूमि प्रकाश को या उससे प्रदर्शित किए जाने वाले प्रकाश को जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक संकटापन्न नहीं करेगा या उसमें बाधा नहीं पहुंचाएगा;"

4. नियम 66 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) जब भी भारत में कोई प्रकाश दिखाई दे :—

(क) किसी विमान मार्ग बीकन पर अथवा वैमानिक बीकन के 5 किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर किसी हवाई अड्डे के आस-पास दिखाया जाता है जिससे यह भ्रम होता है कि वह विमान मार्ग भूमि प्रकाश या विमान मार्ग बीकन है ; या

(ख) इस प्रकार दिखाया जाता है कि उसके विमान मार्ग भूमि प्रकाश या विमान मार्ग बीकन होने के भ्रम होने के कारण किसी वायुयान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या

(ग) इस प्रकार दिखाया जाता है कि विमान क्षेत्र के समीप में होने से उसकी चमक के कारण वहां किसी आने वाले या वहां से प्रस्थान करने वाले वायुयान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ; या

(घ) इस प्रकार दिखाया जाता है कि उसकी तीव्रता संरूपण या रंग के कारण दिक्चालन के लिए दृश्य सहायकों के जो बाधाओं या निर्बन्धित उपयोग क्षेत्रों का द्योतन करने के स्पष्ट निर्वचन में अवरोध या भ्रम हो सकता है ;

तो केन्द्रीय सरकार उस स्थान के जहां प्रकाश दिखाया जाता है स्वामी पर या उस स्थान का कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर, जिस पर प्रकाश का भारसाधन है, एक सूचना की तामील उस स्वामी या व्यक्ति को यह निदेशित करते हुए कर सकेगी कि वह स्वामी या व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट उचित समय के भीतर उस प्रकाश को बुझा दिए जाने के लिए या प्रभावकारी रूप से प्रतिच्छादित करने के लिए और किसी समरूप प्रकाश का भविष्य में प्रदर्शन को निवारित करने के लिए प्रभावकारी साधन अपनाए ।"

[फा. सं. एवी. 11012/1/80-ए]
जे. एन. कौल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण

(1) मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 23 मार्च, 1937 को अधिसूचना सं. बी-26 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(2) तत्पश्चात अधिसूचना सं. मा. का. नि. 1230 तारीख 8 सितम्बर, 1982 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1984

GSR 610(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937 were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 13th August, 1983 with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. GSR 599 dated the 21st July, 1983 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the official Gazette in which the said notification was published were made aavilable to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th August, 1983.

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air craft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Aircraft Rules, 1937,—

1. in rules 3, in sub-rule (1)—

(i) clause (3) shall be omitted;

(ii) after clause (4), the following clauses shall be inserted namely:—

(4A) "Aeronautical beacon" means an aeronautical ground light visible at

all azimuth either continously or intermittently to designate a particular point on the surface of the earth;

(4B) "Aeronautical ground light" means any light provided as an aid to air navigation other than a light displayed on an aircraft.";

2. for Part VIII and the heading thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Part VIII—Aeronautical beacon, aeronautical ground lights and false lights."

3. for rule 65, the following rule shall be substituted, namely:—

"65. Aeronautical beacon and aeronautical ground lights.

(1) No aeronautical beacon or aeronautical ground light shall be established or maintained within India nor shall the character of the light exhibited therefrom be altered except with the approval in writing of the Central Government and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) No person shall willfully or negligently endanger or interfere with any aeronautical beacon or aeronautical ground light established or maintained by or with the approval of the Central Government or any light exhibited therefrom.";

4. in rule 66, for sub-rule (1), the following ub-rule shall be substituted, namely:—

"(I) Whenever in India any light is exhibited,—

(a) in the vicinity of an aerodrome or an aeronautical beacon within a radius of 5 kilometres, so as to be liable to be mistaken for an aeronautical ground light or an aeronautical beacon; or

(b) which by reason of its liability to be mistaken for an aeronautical ground light or an aeronautical beacon is calculated to endanger the safety of an aircraft; or

(c) which being in the vicinity of an aerodrome is liable by reason of its glare to endanger the safety of an aircraft arriving at or departing from the aerodrome; or

(d) which may prevent or cause confusion by reason of its intensity, configuration or colour in the clear interpretation of visual aids for navigation denoting obstacles or restricted use areas;

the Central Government may serve a notice upon the owner or person in possession of the place where the light is exhibited or upon the person having charge of the light directing that owner or person within a reasonable time to be specified in the notice to take effectual means for extinguishing or for effectually screening the light and for preventing for the future the exhibition of any similar light."

[F. No. AV.11012/1/80-A]
J. N. KAUL, Jt. Secy.

FOOT NOTE

(1) Principal rules published vide Notification No. V-26 in the Gazette of India on 23rd March, 1937.

(2) Subsequently amended by Notification No. GSR 1230, dated the 8th September, 1962.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984